विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 के द्वारा भी की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। 31 मार्च 2012, तक बिहार राज्य में 26 कार्यशील (22 कम्पनियाँ तथा चार सांविधिक निगम) एवं 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों (सभी कम्पनियाँ) थे जिनमें 0.18 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने 2011–12 में ₹ 7811.28 करोड़ का आवर्त प्राप्त किया। यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत था। 30 सितम्बर 2012 तक अपनी अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा0क्षे0 उपक्रमों की कुल हानि ₹ 2619.35 करोड़ थी।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

31 मार्च 2012 को, 66 सा0क्षे0 उपक्रमों में ₹ 12,374.75 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) था । 2011–12 में कुल निवेश का 79.52 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र में था। 2011 – 12 में, सरकार ने ₹ 3587.11 करोड़ पूँजी, ऋण और अनुदान/अर्थसाहाय्य के लिए दिये।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन

अद्यतन अन्तिमीकृत किए गए लेखाओं के अनुसार, 26 कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों में से 14 सा0क्षे0 उपक्रमों ने ₹ 149.70 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा 10 सा0क्षे0 उपक्रमों को ₹ 2744.16 करोड़ की हानि हुई। लाभ में योगदान करने वालों में बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (₹ 75.45 करोड़) एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 37.89 करोड़) मुख्य थे। अधिक हानि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 2662.38 करोड़) ने वहन किये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सा0क्षे0 उपक्रमों के कार्यकलापों में कई त्रुटियाँ पायी गयीं। सी0ए0जी0 की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य कार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमों ने, उनके वित्तीय प्रबन्धन, योजना एवं कार्यान्वन में त्रुटियाँ के कारण ₹ 2424.87 करोड़ की हानि वहन की तथा ₹ 53.87 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा।

लेखाओं की गुणवत्ता

सा0क्षे0 उपक्रमों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2011–12 में सभी 21 कम्पनियों के लेखाओं को गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिले। कम्पनियों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान नौ लेखे में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धित 25 उदाहरण पाए गए।

बकाया लेखे एवं समापन

30 सितम्बर 2012 तक 26 कार्यकारी सा0क्षे0 उपक्रमों में से 25 सा0क्षे0 उपक्रमों के 191 लेखे बकाया में थे। बकाया लेखाओं की अवधि एक से 22 वर्षों तक थी। यहाँ 40 अकार्यशील सा0क्षे0 उपक्रमें थीं, जिनमें सात समापन की प्रक्रिया में थे।

(अध्याय–I)

2. सरकारी कम्पनी से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखा परीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् हैं :

परिचय

बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन अप्रैल 1965 में राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सभी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करना, मुद्रण, विक्रय तथा आपूर्ति करना है।

मुद्रण प्रेस का आधुनिकीकरण

कम्पनी के पास वर्ष में 100.50 लाख पुस्तकें मुद्रण करने की संस्थापित क्षमता वाली मुद्रण प्रेस थी। प्रेस की क्षमता वर्ष–दर–वर्ष घटती गयी जिसके कारण थे (क) यंत्रों का पुराना होना, (ख) उचित अनुरक्षण का अभाव, (ग) जर्जर पुर्जों का बदला नहीं जाना, (घ) भारी खराबी, एवं (ड.) निम्न स्तरीय उत्पादन के कारण बाधित होकर चलना। मुद्रण प्रेस लगभग अक्रियाशील हो गया था तथा इसकी आधुनिकीकरण अथवा उन्नयन प्रक्रिया के जरिए पूर्णतः पुनरुत्थान करने की आवश्यकता थी। तथापि, प्रबन्धन अपने ढीला–ढाला प्रवृति के कारण आधिक्य निधि की उपलब्धता के बावजूद पुराने मुद्रण प्रेस को आधुनिक/उन्नत/बदलने हेतु कोई सुदृढ़ उपाय करने में असफल रहा। कम्पनी, इसके कारण, नवीन तकनीक के लाभ से वंचित रहा तथा उसे निजी मुद्रकों से पुस्तकों की मुद्रण करवानी पड़ी।

कागज का क्रय

कम्पनी द्वारा आवश्यक पाठ्य कागजों का क्रय किया जा रहा था एवं इसकी आपूर्ति निजी मुद्रकों को की जा रही थी। वर्ष 2010–12 के दौरान निविदा आमंत्रित किये बिना भारत सरकार के उपक्रम, हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच0पी0सी0एल0) से कागज प्राप्त किया गया। कम्पनी ने एच0पी0सी0एल0 के साथ न तो दर अनुबन्ध किया एवं न ही कागजों की क्रय तथा आपूर्ति हेतु अनुबन्ध किया। अनुबन्ध के अभाव में, कम्पनी 842 क्षतिग्रस्त रील कागजों को एच0पी0सी0एल0 द्वारा मरम्मत अथवा इसके बदलवाने में असफल रहा।

पुस्तकों की मुद्रण एवं आपूर्ति में विलम्ब

सर्व शिक्षा अभियान, जो एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा चलाया जाता है, के अन्तर्गत आपूर्ति आदेश के अनुसार कम्पनी पुस्तकों का मुद्रण तथा आपूर्ति पूर्ण नहीं कर पायी जिससे छात्र समय पर पुस्तक पाने की सुविधा से वंचित रहे। वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान योजना के अन्तर्गत पुस्तकों के मुद्रण हेतु निजी मुद्रकों को मुद्रण आदेशों को निर्गत करने में कम्पनी ने तीन माह से 12 माह का अत्यधिक समय लिया था। मुद्रकों को कार्य आदेश में उल्लेखित समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करनी थी। तथापि, वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान मुद्रकों द्वारा मुद्रण तथा सेट–मेकरों को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब का परास 36 से 170 दिनों के बीच था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् ने वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति में विलम्ब के कारण ₹ 3.13 करोड़ तथा वर्ष 2007–08 से 2010–11 के दौरान निम्न कोटि के पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के कारण ₹ 15.72 करोड़ की राशि की कटौती कर लिया। तथापि, कम्पनी दण्ड आरोपण हेतु मुद्रकों के साथ हुए अनुबन्ध के प्रावधानों का आह्वान करने में विफल रहा।

विपणन तथा विक्रय निष्पादन

कम्पनी ने सामान्य विक्रय के अन्तर्गत पुस्तकों के विक्रय हेतु कोई सुदृढ़ विपणन नीति प्रतिपादित नहीं किया था। सर्व शिक्षा अभियान तथा सामान्य विक्रय के अन्तर्गत अप्रचलित पुस्तकों का संचयन ₹ 9.07 करोड़ तक हो गया था।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी का वित्तीय प्रबन्धन त्रुटिपूर्ण था। कम्पनी में नकद/निधि प्रवाह विवरणी तैयार करने की प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। वर्ष 1998–99 से ही कम्पनी के

लेखे बकाये में थे। बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया गया था। ऋण दाताओं एवं ऋणों तथा अग्रिमों के आवर्तन/उम्र–वार तथा दल–वार विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं थे। कम्पनी ने प्रावधानों के विरुद्ध एक सेट–मेकर को ₹ 2.39 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

यद्यपि कम्पनी का आधारभूत कार्य पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण तथा प्रकाशन करना था तथापि इसका अपना मुद्रण प्रेस लम्बे समय से अक्रियाशील था तथा निधि की उपलब्धता होने के बावजूद प्रेस को आधुनिक/उन्नत बनाने हेतु कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी को निजी मुद्रकों की सेवाओं का आश्रय लेना पड़ा। औपचारिक अनुबन्ध के अभाव में कम्पनी एच0पी0सी0एल0 से क्षतिग्रस्त कागजों का मूल्य वसूलने में विफल रहा। बि0शि0प0प0 को पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति करने में विलम्ब हुआ जिसके कारण कम्पनी को दण्ड का भुगतान करना पड़ा। त्रुटिपूर्ण विपणन नीति एवं नियोजन के कारण अप्रचलित पुस्तकों का भारी संचयन हो गया था। कम्पनी में विद्यमान आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली त्रुटिपूर्ण था।

हमने छः अनुशंसाएँ की हैं जिनमें, मुद्रण प्रेस के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन करने हेतु कम्पनी द्वारा प्रभावी अनुसरण ताकि पाठ्य पुस्तकों की मुद्रण तथा आपूर्ति हेतु निजी मुद्रकों पर निर्भरता को टाला जा सके; मुद्रित होने तथा आपूर्ति होने वाली पुस्तकों की मात्रा के आकलन की नियोजन में सुधार हो जिससे शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पहले मुद्रण तथा वितरण हेतु समय सीमा का अनुपालन हो; पुस्तकों की विक्रय हेतु प्रभावी विपणन नीति प्रतिपादित हो, पाठ्य पुस्तकों की निम्न गुणवत्ता/विलम्ब से आपूर्ति के कारण दोषी मुद्रकों/सेट–मेकर से दण्ड वसूलने का प्रयास किया जाय; संविदा के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर की वसूली हो तथा वित्तीय तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ़ हो, सम्मिलित हैं।

(अध्याय-II)

3. सांविधिक निगम से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

'बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की विद्युत–शक्ति संचरण गतिविधि पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारी सारांश निम्नवत् है:

परिचय

बिहार में विद्युत संचरण एवं ग्रिड परिचालन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बोर्ड) के द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित होता है। 31 मार्च 2007 को बोर्ड के पास 5559.05 सर्किट किलोमीटर (सी0के0एम0) एवं 67 अति उच्च विभव (ई0एच0टी0) सब–स्टेशन (एस0एस0) का संचरण नेटवर्क था जो कि 31 मार्च 2012 तक बढ़कर 6400 सी0के0एम0 एवं 7078 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एम0भी0ए0) के स्थापित क्षमता के साथ 86 एस0एस0 हो गया। संचारित उर्जा की मात्रा जो 2007–08 में 7371.44 मिलियन युनिट (एम0यू0) था, बढ़कर 2011–12 में 10799.30 एम0यू0 हो गया। बोर्ड की निष्पादन लेखापरीक्षा संचरण गतिविधियों में मितव्ययिता, दक्षता एवं प्रभाविता के निर्धारण के लिए की गई।

योजना एवं विकास

निष्पादन लेखापरीक्षा में ली गई अवधि में बोर्ड ने कोई राज्य विद्युत योजना (एस0ई0पी0) नहीं बनायी। साथ ही बिहार में संचरण तंत्र को बढ़ाने/सुदृढ़ करने हेतु बोर्ड द्वारा कोई भी वर्षवार अल्प अवधि योजना नही बनाई गई थी। यद्यपि, बिहार में संचरण तंत्र को मजबूत करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी0जी0सी0आई0एल0) के द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) बोर्ड के लिए बनाया गया था। आगे, बोर्ड ने भी उपर्युक्त अवधि में पाँच एस0एस0 एवं पाँच संचरण लाइन बनाने का निर्णय लिया था।

क्षमता विस्तार

एस0एस0 एवं लाइन की क्षमता बढ़ाने का कार्य अपने लक्ष्यों को नहीं पा सका क्योंकि पाँच वर्षों की अवधि में 30 एस0एस0 एवं 2202.30 सी0के0एम0 के ई0एच0टी0 लाईन लक्ष्य के विरुद्ध केवल 19 एस0एस0 एवं 841.16 सी0के0एम0 लाइनों का ही निर्माण हो सका। उक्त कमी परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण हुई।

परियोजना प्रबंधन

बोर्ड अपनी परियोजनाओं को समयानुसार पूर्ण नही कर सका। 2007–12 की अवधि में हमने चार से 78 महीनों की समयवृद्धि तथा ₹ 2.71 करोड़ की लागत वृद्धि के उदाहरण देखे। निविदा अंतिमीकरण में विलम्ब, रेलवे से अनुमोदन लेने में विलम्ब, आरेखन एवं प्रारूपों के अनुमोदन में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण मे विलम्ब इत्यादि लक्षित बढ़ोतरी की उपलब्धि में कमी के कारण थे

परिचालन एवं रख–रखाव

कुल संचरण क्षमता प्रत्येक वर्ष में आवश्यकता से अधिक थी। बोर्ड, उच्चतम एवं न्यूनतम वोल्टेज को मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने में विफल रहा। पटना मण्डल के 38 फीडरों में से आठ फीडर 366 एम्पीयर से अधिक भारित थे। आठ 220 किलो वोल्ट एस0एस0 (तीन एकल बस बार एस0एस0 एवं पाँच दोहरे बस बार एस0एस0) में से केवल चार एस0एस0 में ही बस बार सुरक्षा पैनल (बी0बी0पी0पी0) दिया गया था।

रख–रखाव

शक्ति ट्रान्सफॉर्मरों का निष्पादन

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि में खराब हुए कुल 16 ट्रान्सफॉर्मरों में से दो में स्थापित सुरक्षा पद्धति के असफल होने के कारण आग लग गई एवं वे जल गए, चार ट्रान्सफॉर्मर उनके बुकहोल्ज और डिफरेंशियल रिले की विफलता के कारण खराब हो गए, दो वांइडिग की विफलता के कारण खराब हो गए, तथा शेष आठ आंतरिक गड़बड़ी के कारण खराब हुए, जिन्हें सावधिक जाँच एवं उचित रख–रखाव से टाला जा सकता था।

संचरण हानियाँ

संचरण हानियाँ 513 प्रतिशत एवं 975 प्रतिशत के बीच थी और 2011–12 तक के सभी पाँच वर्षों में सी0ई0ए0 एवं बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित चार प्रतिशत के मानक से अधिक थीं। 2007–08 से 2011–12 की अवधि में बोर्ड द्वारा मानकों से अधिक वहन की

गई संचरण हानियाँ 1830.29 एम0यू0 थीं जिनका मूल्य ₹ 710.40 करोड़ था। सब–स्टेशन ट्रान्सफॉर्मरों द्वारा उपभोग की गई उर्जा का लेखांकन नहीं होना एवं पुराने ऊर्जा ट्रान्सफॉर्मरों द्वारा अत्याधिक रूपांतरण हानि, अधिक संचरण हानि के कारणों में सम्मिलित थे।

ग्रिड प्रबंधन

जून 2012 तक 86 सब–स्टेशनों एवं एक जेनेरेटर में से केवल आठ में (9.3 प्रतिशत) रिमोट टर्मिनल युनिट उपयोग होता हुआ पाया गया। साथ ही, 2007–12 में बोर्ड को पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से 135 (अ प्रकार), 71 (ब प्रकार) एवं 79 (स प्रकार) के ग्रिड मानकों के उल्लंघन के संदेश प्राप्त हुए।

वित्तीय प्रबंधन

हमने पाया कि बोर्ड, टैरिफ आदेशों के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं की संविदा मांग को बढ़ाने में विफल रहा जिसके कारण अल्प विपत्रीकरण हुआ और ₹ 11.67 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

आगे, बोर्ड ने उपभोक्ता से अनुबन्ध करने की प्रक्रिया में विलम्ब किया जिससे बोर्ड ₹ 8.08 करोड़ के राजस्व को प्राप्त करने से वंचित रह गया।

सामग्री प्रबंधन

बोर्ड के पास बड़ी मात्रा में अंतशेष स्टॉक था जो यह इंगित करता है कि बोर्ड की क्रय नीति दोषपूर्ण थी। 2007–08 से 2011–12 की अवधि में प्रतिमाह उपभोग के संदर्भ में अंतशेष स्टॉक 19 से 59 महीनों के लिए था।

भण्डार में स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं होना

भंडारों का भौतिक सत्यापन (पी0भी0) प्रत्येक वर्ष नहीं हो रहा था और यह केवल 2007–08 एवं 2011–12 में हुआ था। आगे, बोर्ड पर्यवेक्षण प्रतिवेदनों के आयोजन एवं स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों को बेचने हेतु कोई प्रयास नहीं किया, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सकती थी।

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

एस0एस0 के परिचालन के अनुश्रवण के लिए लागू की गई प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) अपूर्ण थी। बोर्ड केबल को हटवाने के लिए निविदा को ससमय अन्तिमीकरण करने में विफल रहा और केबल की चोरी/क्षति और सुरक्षा के कारण उसे ₹ 1.50 करोड़ की हानि हुई।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

बोर्ड ने बिहार में संचरण तंत्र में वृद्धि/सुदृढ़ीकरण के लिए कोई वर्षवार योजना नहीं बनाई। संचरण तंत्र का परिचालन दक्षपूर्ण एवं प्रभावी नहीं था, जिसके कारण बोर्ड की संचरण हानि मानकों से अधिक थी, एस0एस0 का भोल्टेज स्तर तयसीमा के अन्दर नहीं रखा जा सका, फीडरों पर भार थर्मल भार सीमा से ज्यादा पाया गया था। बोर्ड की आपदा प्रबंधन सुविधाएँ अप्रर्याप्त थीं। बोर्ड का उर्जा लेखांकन प्रभावशाली नहीं था क्योंकि हानियों की उच्च प्रतिशतता तथा नकारात्मक हानियाँ पाई गई थीं। बोर्ड द्वारा उर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। अंतशेष स्टॉक की भारी मात्रा ने यह इंगित किया कि बोर्ड की क्रय नीति दोषपूर्ण थी। बोर्ड द्वारा स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया गया और सर्वेक्षण करवाने एवं स्क्रैप/अप्रचलित सामग्रियों को बेचने हेतु कोई प्रयास नही किया। बोर्ड की अनुश्रवण तंत्र प्रभावशाली नहीं था जिसके कारण संचरण लाइन अनेक बार बंद हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा सात अनुशंसाएँ की गई हैं जिनमें अल्प अवधि और परिप्रेक्ष्य योजना का निर्माण, निर्माण कार्य में देरी को टालने हेतु टास्क फोर्स की अनुशंसाओं पर अमल, संचरण तंत्र का मानकों के अनुरूप परिचालन, संचरण हानि को कम करने हेतु प्रभावशाली उपायों को लागू करना, समुचित आपदा प्रबंधन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्रय संभाग एवं अनुश्रवण क्रियाकलापों में सुधार सम्मिलित हैं।

(अध्याय-III)

4. कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गए कार्य सम्पादन पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, लोक उपक्रमों के प्रबन्धन की त्रुटियाँ, जिनके परिणामस्वरूप गम्भीर वित्तीय अनियमितताएँ हुईं, को मुख्य रूप से दर्शाती है। इंगित की गई अनियमितताएँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं :

नियमों, दिशा–निर्देशों, प्रक्रियायों, संविदाओं के नियमों एवं शर्तों के अनुपालन नहीं होने से सात मामलों में ₹ 29.04 करोड़ की हानि/वसूल नहीं होना।

(कंडिका 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, एवं 4.11)

संगठन की वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने से एक मामले में ₹ 0.47 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.10)

अपर्याप्त/त्रुटीपूर्ण अनुश्रवण प्रणाली के कारण तीन मामलों में ₹ 16.47 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.3, 4.4 एवं 4.7)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षाओं का सारांश निम्न प्रकार है:

बी0ई0आर0सी0 की दिशा–निर्देशों के अनुपालन नहीं करने से **बिहार राज्य जल विद्युत–शक्ति निगम लिमिटेड** ने ₹ 29.62 लाख का निष्फल व्यय किया एवं ₹ 4.72 करोड़ की राजस्व की हानि वहन की।

(कंडिका 4.1)

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड एवं **बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड** में कर दायित्व के समुचित निर्धारण की प्रणाली के अभाव के कारण अग्रिम आयकर का अल्प भुगतान हुआ जो ₹ 1.39 करोड़ के ब्याज के परिहार्य भुगतान में परिणत हुआ।

(कंडिका 4.3)

टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र की प्राप्ति एवं टी0डी0एस0 वापसी हेतु दावा प्रस्तुत करने में **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** की विफलता के फलस्वरूप **बोर्ड** को ₹ 12.87 करोड़ की हानि।

(कंडिका 4.4)

उपभोक्ताओं के आवासों में चालू मीटर प्रतिस्थापन एवं अनधिकृत विद्युत प्रयोग को ज्ञात करने हेतु उपभोक्ताओं के आवासों की निरीक्षण में **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** की विफलता के फलस्वरूप ₹ 17.40 करोड़ के राजस्व की हानि।

(कंडिका 4.5)

लोड के विस्तार में **बिहार राज्य विद्युत बोर्ड** द्वारा अत्यधिक विलम्ब के कारण ₹ 2.21 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 4.7)

(अध्याय – IV)